(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

आसाराम पुत्र सोहन राम जाति जाट निवासी अमृतवासी तहसील श्रीडूंगरगढ बनाम इन्द्रादेवी वगैरहा

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 11/2022 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.01.2022	आज यह प्रार्थना पत्र आसाराम आदि ने जरिये श्री बाबूलाल दर्जी अधिवक्ता मार्फत पेश किया। । प्रार्थी ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 882 रकबा 15.92 हैक्टेयर भूमि वाके रोही जैतासर में उभय पक्ष आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायें रखें। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 16.03.2022 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 16.03.2022 को पेश हों । (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
7.02.2022	आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन पत्र दाखिल पेशी में की गई। मूल वाद में वादी के अधिवक्ता ने दावा जरिये निवेदनपत्र विड्रो के खारिज किया जाने के [illegible] खारिज किया जा चुका है। जो. पक्ष का मूल वाद खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना अब कोई औचित्य नहीं रहा है। [illegible] पत्र खारिज किया जाता है। [illegible] दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली [illegible] (हस्ताक्षर)	Noted. (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:17:19 IST
Reason: SelfAttested